

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

मांग संख्या 16

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	116010.66	24059.79	140070.45	150952.64	50523.05	201475.69	146309.57	50499.65	196809.22	173735.00	50424.10	224159.10
<i>वसूलियां</i>	-1447.16	-478.40	-1925.56	-496.00	-475.00	-971.00	-442.52	-475.00	-917.52
<i>प्राप्तियां</i>	...	-23000.00	-23000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00
निवल	114563.50	581.39	115144.89	150456.64	48.05	150504.69	145867.05	24.65	145891.70	173735.00	424.10	174159.10
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	50.39	...	50.39	55.16	...	55.16	65.00	...	65.00	63.53	...	63.53
2. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	18.41	0.80	19.21	19.75	1.05	20.80	19.33	1.15	20.48	19.51	4.10	23.61
3. खाद्य, गोदाम और भंडार के अन्य स्थापना व्यय	17.01	...	17.01	19.13	...	19.13	17.99	...	17.99	18.96	...	18.96
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बंधित केंद्रीय सतर्कता समिति	0.02	...	0.02
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	85.81	0.80	86.61	94.04	1.05	95.09	102.34	1.15	103.49	102.00	4.10	106.10
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं												
खाद्य सस्सिडी												
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता	78334.61	...	78334.61	107138.60	...	107138.60	101981.69	...	101981.69	138123.00	...	138123.00
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य राजसहायता	27338.35	...	27338.35	38000.00	...	38000.00	38000.00	...	38000.00	31000.00	...	31000.00
7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी राजसहायता	4500.00	...	4500.00	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00	200.00	...	200.00
8. भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम												
8.01 भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम	...	23000.00	23000.00	...	50000.00	50000.00	...	50000.00	50000.00	...	50000.00	50000.00
8.02 भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम का भुगतान	...	-23000.00	-23000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00	...	-50000.00	-50000.00
<i>निवल</i>
जोड़-खाद्य सस्सिडी	110172.96	...	110172.96	145338.60	...	145338.60	140281.69	...	140281.69	169323.00	...	169323.00
9. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय संचलन और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन के लिए राज्य की एजेंसियों को सहायता	2500.00	...	2500.00	4500.00	...	4500.00	4500.00	...	4500.00	4000.00	...	4000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. खाद्य तेल के आयात पर राजसहायता - विगत देयताएं	567.01	...	567.01
चीनी उद्योग का विकास												
11. चीनी उद्योग का विकास योजनाएं												
11.01 चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/अन्य व्यय	40.01	...	40.01	26.00	...	26.00	23.00	...	23.00	26.00	...	26.00
11.02 चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने हेतु स्कीम, 2014	616.52	...	616.52	470.00	...	470.00	385.00	...	385.00	200.00	...	200.00
11.03 कच्ची चीनी के उत्पादन हेतु विपणन और संवर्धन सेवाओं पर प्रोत्साहन	41.41	...	41.41
11.04 चीनी कारखानों को सरल ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना, 2015 के लिए ब्याज सहायता	224.36	...	224.36	11.42	...	11.42
11.05 चीनी मिलों को गन्ने के लागत क्षतिपूर्ति और किसानों को गन्ना मूल्य देयों का समय पर भुगतान सरल बनाने के लिए उत्पादन सस्मिडी	521.71	...	521.71	23.10	...	23.10
11.06 चीनी बफर स्टॉक के अनुरक्षण के लिए राजसहायता	3.18	...	3.18
11.07 चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए ऋण	...	160.15	160.15	...	150.00	150.00	...	113.00	113.00	...	100.00	100.00
11.08 गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	25.00	25.00	...	12.00	12.00	...	25.00	25.00
11.09 खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को ऋण	...	230.00	230.00	...	200.00	200.00	...	250.00	250.00	...	200.00	200.00
11.10 एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण	...	83.09	83.09	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	60.00	60.00
11.11 चीनी विकास निधि को अंतरण	1122.00	550.00	1672.00	496.00	...	496.00	917.52	...	917.52
11.12 एस.डी.एफ.से अंतरण	-1447.12	-473.24	-1920.36	-496.00	-475.00	-971.00	-442.52	-475.00	-917.52
	<i>निवल</i>	<i>550.00</i>	<i>1672.00</i>	<i>496.00</i>	<i>...</i>	<i>496.00</i>	<i>917.52</i>	<i>...</i>	<i>917.52</i>	<i>226.00</i>	<i>385.00</i>	<i>611.00</i>
12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन का सुदृढीकरण	56.88	...	56.88	29.57	...	29.57	41.00	...	41.00
13. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन	10.00	...	10.00
14. भंडारण और गोदाम	16.25	35.75	52.00	13.00	47.00	60.00	29.32	23.50	52.82	25.00	35.00	60.00
15. वास्तविक वसूलियां	-0.04	-5.16	-5.20
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/परियोजनाएं	114435.13	580.59	115015.72	150347.60	47.00	150394.60	145758.10	23.50	145781.60	173625.00	420.00	174045.00
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
16. भण्डारण विकास और विनियामक प्राधिकरण	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	6.61	...	6.61	8.00	...	8.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
17. हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन	27.56	...	27.56
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	42.56	...	42.56	15.00	...	15.00	6.61	...	6.61	8.00	...	8.00
कुल जोड़	114563.50	581.39	115144.89	150456.64	48.05	150504.69	145867.05	24.65	145891.70	173735.00	424.10	174159.10

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. योजना परिव्यय												
आर्थिक सेवाएं												
1. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	114442.20	...	114442.20	150388.48	...	150388.48	145763.31	...	145763.31	173632.47	...	173632.47
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	50.39	...	50.39	55.16	...	55.16	65.00	...	65.00	63.53	...	63.53
3. नागरिक आपूर्ति	3.61	...	3.61	5.02	...	5.02
4. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजी परिव्यय	...	31.39	31.39	...	1.05	1.05	...	1.15	1.15	...	4.10	4.10
5. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण के लिए ऋण
6. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	550.00	550.00	385.00	385.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	114496.20	581.39	115077.59	150443.64	1.05	150444.69	145833.33	1.15	145834.48	173696.00	389.10	174085.10
अन्य												
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र	13.00	...	13.00	33.72	...	33.72	39.00	...	39.00
8. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	67.30	...	67.30
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	47.00	47.00	...	23.50	23.50	...	35.00	35.00
जोड़-अन्य	67.30	...	67.30	13.00	47.00	60.00	33.72	23.50	57.22	39.00	35.00	74.00
कुल जोड़	114563.50	581.39	115144.89	150456.64	48.05	150504.69	145867.05	24.65	145891.70	173735.00	424.10	174159.10

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
अन्वेषण और उत्पादन												
1. भारतीय खाद्य निगम	35.75	...	35.75	47.00	...	47.00	23.50	71995.00	72018.50	35.00	71995.00	72030.00
2. केंद्रीय भंडारण निगम	...	103.11	103.11	...	108.08	108.08	...	88.46	88.46	...	93.06	93.06
जोड़-अन्वेषण और उत्पादन	35.75	103.11	138.86	47.00	108.08	155.08	23.50	72083.46	72106.96	35.00	72088.06	72123.06
अन्य सहकारी समितियों को उधार												
3. सेन्ट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लि.	...	2.52	2.52	5.62	5.62	...	5.20	5.20
जोड़-अन्य सहकारी समितियों को उधार	...	2.52	2.52	5.62	5.62	...	5.20	5.20
जोड़	35.75	105.63	141.38	47.00	108.08	155.08	23.50	72089.08	72112.58	35.00	72093.26	72128.26

												(₹ करोड़)			
				बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
				आं. ब. बा. सं.	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
2. **राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर:** इसमें राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर से संबंधित स्थापना व्यय एवं छात्रावास सह अतिथिगृह, प्रशिक्षण केंद्र और कॉफ़ेस कक्ष के निर्माण, वर्तमान छात्रावासों और सभागार के नवीनीकरण तथा परिसर को वाई-फाई परिसर और क्लास रूम को स्मार्ट क्लास रूम में परिवर्तित करने पर होने वाला व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।
3. **खाद्य, गोदाम और भंडार के अन्य स्थापना व्यय:** यह प्रावधान शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय, भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसन्धान संस्थान, केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला, गुण नियंत्रण कक्ष के स्थापना व्यय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनाज परिषद और अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद के सदस्यता शुल्क के लिए है।
5. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता:** भारतीय खाद्य निगम और अन्यो को खाद्यान्नों के कारोबार पर राजसहायता निम्नलिखित की प्रतिपूर्ति के लिए दी जाती है (i) खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा भारत सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के तहत देने हेतु उनके निर्गम मूल्यों के बीच का अन्तर, और (ii) बफर स्टॉक/ रणनीतिक रिजर्व को रखने की लागत।
6. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य राजसहायता:** यह प्रावधान कुच्छ राज्य सरकारों को खाद्य राजसहायता प्रदान करने के लिए है, जो खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद कर रहे हैं।
7. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देय चीनी राजसहायता:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों को चीनी राज सहायता प्रदान करने के लिए है।
- 8.01. **भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए खाद्यान्न की खरीद के सम्बन्ध में अपनी नकद धन की प्रवाह आवश्यकताओं की पूर्ति, बफर स्टॉक आवश्यकताओं और खाद्यान्न हैंडलिंग को अर्थोपाय अग्रिम हेतु है। इस अग्रिम को उसी वित्त वर्ष में समायोजित कर लिया जाएगा।
9. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्नों के अंतर्राष्ट्रीय संचलन और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन के लिए राज्य की एजेंसियों को सहायता:** यह प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्यान्नों के रखरखाव, अंतर्राष्ट्रीय संचलन और उचित दर दुकानों के डीलरों को संदत्त मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए है।
- 11.01. **चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता/अन्य व्यय:** यह व्यय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एजेंसी कमीशन के भुगतान करने के लिए है।
- 11.02. **चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने हेतु स्कीम, 2014:** यह प्रावधान सभी भागीदार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को चीनी कारखानों की हालत में सुधार करने के मद्देनजर, उन्हें पूर्व में चीनी मौसमों के बकाया को चुकाने और केन्द्र सरकार द्वारा गन्ना किसानों के लिए नियत उचित और लाभप्रद मूल्य संबंधी गन्ना मूल्यों का समय पर निपटान करने के लिए ब्याज से बचने के लिए है। सामान्य बैंकिंग प्रथा के अनुसार ब्याज सब्वेंशन, जिसकी सीमा 12 प्रतिशत वार्षिक है, लोन की अवधि के लिए ही है जो मोरेटोरियम के दो वर्ष सहित पांच वर्ष है।
- 11.07. **चीनी कारखानों के पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए ऋण:** यह व्यय चीनी कारखानों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करने के लिए है।
- 11.08. **गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण:** यह प्रावधान गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने के लिए है।
- 11.09. **खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान खोई आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं के लिए चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने हेतु है।
- 11.10. **एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को ऋण:** यह प्रावधान एनहाइड्रस अल्कोहल या अल्कोहल से इथेनाल के उत्पादन हेतु चीनी कारखानों को रियायती ऋण देने के लिए किया गया है।
12. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन का सुदृढीकरण:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं जैसे प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकरण और टी.पी.डी.एस. लाभभोगियों में जागरूकता लाने के लिए है।
13. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समेकित प्रबंधन:** यह प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन पर खर्च के लिए है।
14. **भंडारण और गोदाम:** यह प्रावधान भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान के साथ भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए है।

16. **भण्डारण विकास और विनियामक प्राधिकरण:** यह प्रावधान, भण्डारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को अनुदान सहायता-वेतन एवं आईटी समर्थित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और परक्राम्य भण्डागार रसीदों/रूपांतरण आयोजना के ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के विकास पर होने वाले व्यय और स्थापना व्यय के लिए अनुदान सहायता-सामान्य प्रदान करने के लिए है।